



सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया
सदर अस्पताल परिसर, खगड़िया- 851204
दुरभाष संख्या - 06244- 222515



पत्रांक:- 619

दिनांक:- 02/08/21

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI), आमंत्रण

सदर अस्पताल, खगड़िया में अधिष्ठापित PSA Based Medical Grade Oxygen Generation Plant हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत 250/200/100 KVA जेनरेटर के माध्यम से वैकल्पिक विद्युत की आपूर्ति हेतु कम्पनी/फर्म/संस्था/गैर सरकारी संस्थानों (NGO) को चयन करने के निमित्त निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा सीधा जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया कार्यालय में रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) से संबंधित विस्तृत विवरणी जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया कार्यालय से अथवा वेबसाईट <http://khagaria.bih.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

निर्धारित समयावधि तक भौतिक रूप से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) भेजने हेतु पता-

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,

जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया

(सदर अस्पताल परिसर) खगड़िया, 851204

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) (भौतिक रूप से) प्राप्ति की अंतिम तिथि-

दिनांक- 07.08.21 को संध्या 5.00

बजे तक

भौतिक रूप से प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) खोलने की तिथि-

दिनांक- 07/8/21 6pm

29/7/21
सिविल सर्जन
खगड़िया

जिलाधिकारी
खगड़िया



सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया

सदर अस्पताल परिसर, खगड़िया- 851204

दुरभाष संख्या - 06244- 222515



रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रण

सदर अस्पताल, खगड़िया में अधिष्ठापित PSA Based Medical Grade Oxygen Generation Plant हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत 250/200/100 KVA जेनरेटर के माध्यम से वैकल्पिक विद्युत की आपूर्ति हेतु कम्पनी/फर्म/संस्था/गैर सरकारी संस्थानों (NGO) को चयन करने के निमित्त निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा सीधा जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया कार्यालय में रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

अहर्ताएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक कागजात:-

1. आवेदन देने वाले संस्थानों का किसी सरकारी संस्थान के साथ कम-से-कम 3 वर्ष (पंजीकरण के बाद) का कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र जो मुख्यालय स्तर से निर्गत हो, की अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य है।
2. कम्पनी/फर्म के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र, (कम्पनी एक्ट 1956/2013/) पार्टनरशीप फर्म के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र (पार्टनरशीप एक्ट 1932/) सोसाईटी फर्म के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र सोसाईटी एक्ट 1960/ट्रस्ट के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एवं प्रोपराईटरशीप फर्म के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र Shop & Establishment Act. के अंतर्गत होना अनिवार्य है।
3. आयकर पैन की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. GST के तहत निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
5. किसी फौजदारी विभाग या किसी सरकारी प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट द्वारा काली सूची में नहीं डालने संबंधित संस्था द्वारा शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा।

कार्य विवरणी :-जेनरेटर सेवा (साईलेंट जेनरेटर)

1. 3 फेज ध्वनि रहित जेनरेटर होना अनिवार्य है। जेनरेटर हेतु मोबिल/ऑपरेटर/मेन स्वीच तक तार द्वारा पहुँचाने एवं रख-रखाव संस्था के जिम्मे होगा। साथ ही किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु अलग से एक अतिरिक्त 3 फेज ध्वनि रहित जेनरेटर रखना अनिवार्य है।
2. बिजली बाधित रहने की स्थिति में 24 घंटे जेनरेटर सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
3. जेनरेटर का दर प्रतिघंटा (GST रहित) की हिसाब से देय होगा।
4. जेनरेटर मानक कम्पनी का होनी चाहिए तथा जेनरेटर तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।

वित्तीय विवरण हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. आवेदनकर्ता को अपना प्रस्तावित दर निम्न प्रारूप में समर्पित करना होगा :-

कार्य का नाम	DG क्षमता	मासिक रख-रखाव	ईंधन सहित दर प्रति घंटे (लॉग बुक के अनुसार)
साईलेंट जेनरेटर से विद्युत आपूर्ति	250 KVA		
	200 KVA		
	100 KVA		

उपरोक्त प्रारूप में ही वित्तीय दर मान्य होगा, अन्यथा आपके वित्तीय दर पर विचार नहीं किया जाएगा।

अन्य शर्तें :-

- सभी प्रकार का प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति होनी चाहिए।
- उपरोक्त के लिए सामग्रियों एवं व्यक्तियों की आपूर्ति संस्था को स्वयं खर्च पर करनी होगी।

- चयनित एजेंसी को जेनरेटर टेक्नीशियन को पहचान पत्र ब्लू नीला ड्रेस, कर्मी को नेम प्लेट आदि उपलब्ध कराना होगा, जिसपर संबंधित एजेंसी का नाम, कर्मी का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- उक्त सेवा के लिए संतोषप्रद कार्य रहने पर जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया द्वारा अवधि विस्तार संबंधी निर्णय लिया जा सकता है एवं चेतावनी के बावजूद भी प्रायः सेवा असंतोषप्रद रहने पर बीच में भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए कार्यावधि में जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
- उक्त EOI में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मी/पदाधिकारी के रिश्तेदार/रोगी कल्याण समिति के सदस्य शामिल नहीं हो सकते हैं। जाँच के क्रम में पाये जाने पर बिना किसी सूचना के आवंटित कार्य रद्द कर दिया जाएगा।

नोट :-आवेदन को एक बंद (Packed) लिफाफे में बंद कर सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया, सदर अस्पताल परिसर, खगड़िया पिन-851204 के पते पर दिनांक 07.08.21 के संध्या 05:00 बजे तक निर्धारित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा सीधा स्वीकार किया जाएगा।

EOI को रद्द/स्वीकृत/संशोधित करने का अंतिम रूप से अधिकार चयन समिति/जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया की होगी।

ansh
29/7/21
सिविल सर्जन
खगड़िया

h
29/7/21
जिलाधिकारी
खगड़िया